

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067

संचिका सं.CICOM/R/2018/00116

दिनांक 30.01.2018

सेवा में,

श्री प्रताप सिंह बीका,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 22.01.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 24.01.2018 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 105230) तथा दिनांक 25.01.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

बिंदु सं. 1	यदि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक प्राधिकरण/विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल करें। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी निर्धारित अवधि में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है।
बिंदु सं. 2, 3 एवं 5	वांछित सूचना सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः जन सूचना अधिकारी ऐसी सूचनाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं।
बिंदु सं. 4	केन्द्रीय सूचना आयोग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690